

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.07.2024

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 20 / 2024

निर्णय दिनांक : 13.07.2024

जीसीएमएस संख्या- 2024 / 72

दायर दिनांक - 08.03.2024

पूसाराम पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्रार्थी

वनाम

राजारथान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-


1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री सुल्तान सिंह उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 परोकार राज उपस्थित।


निर्णय


संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी निवासी ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु का निवासी है जिनके रोही गेडाप में खेत खाता संख्या 279 के खसरा संख्या 940/802 व रोही तेलाप में खेत खाता संख्या 116 के खसरा संख्या 342/50 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम खसरा संख्या 940/802 के राजस्व रिकॉर्ड में फुसा पुत्र बालु दर्ज है व खसरा संख्या 342/50 में फुसाराम पुत्र बालु दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, परिवार का जॉब कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में पूसाराम पुत्र बालूराम दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही गेडाप व तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।


सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़


सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दरस्तोवजों में नाम पूसाराम पुत्र बालूराम दर्ज है। फूसा व बालूराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पूसाराम पुत्र बालूराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दरस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, परिवार का जॉब कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि दरस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम पूसाराम पुत्र बालूराम अंकित है। अतः मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दरस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


आदेश


प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही गेडाप खेत खाता खाता संख्या 279 के खसरा संख्या 940/802 रकबा 8.4215 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार फुसा पुत्र बालु व रोही तेलाप में खेत खाता संख्या 116 के खसरा संख्या 342/50 रकबा 3.2877 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार फुसाराप पुत्र बालु के स्थान पर पूसाराम पुत्र बालूराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।



पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
लोक अदालत
सुजानगढ़


रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़